



आदेश का क्रमांक तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख में संलग्न है। जमाबंदी रैयत कालु मांझी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँचोपरांत (चेकलिस्ट) में प्रतिवेदन प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत है:-</p> <p><b>खतियान की स्थिति:-</b> मौजा लिमड़ा, थाना नं0 41 के सर्वे खतियान में खाता सं0 77, प्लॉट 767 गैरमजुरुआ खास किस्म परती गढ़ा दर्ज है।</p> <p><b>पंजी ii की स्थिति :-</b> मांग पंजी ii भाग सं0 1 पृष्ठ सं0 95 में दर्ज जमाबंदी रैयत कालु मांझी के नाम से खाता सं0 77 प्लॉट 767 रकबा 1.30 एकड़ भूमि का प्राधिकार कॉलम में आधार दर्ज नहीं है,</p> <p><b>भूमि का वर्तमान स्वरूप:-</b> खाली परती है।</p> <p><b>दखल कब्जा कि स्थिति:-</b>जमाबंदी रैयत व वंशजों का उक्त खाता नं0 77 प्लॉट 902, 32, 899, 915 रकबा 5.05 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा नहीं है।</p> <p><b>स्थल जाँच:-</b> जमाबंदी रैयत मौजा जलंगा में नहीं रहते हैं। तथा खाता नं0 77 प्लॉट 676 रकबा 1.30 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा नहीं है।</p> <p>जमाबंदी रैयत के पक्ष में कोई भी उपस्थित नहीं हुए। पंजी II रैयत कालु मांझी नावलद मृत है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबंदी रैयत मौजा लिमड़ा में नहीं रहते हैं। प्रतिवेदनानुसार पंजी ii के पृष्ठ सं0 95 में दर्ज खाता सं0 77 प्लॉट 767 रकबा 1.30 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं पंजी II रैयत कालु मांझी के नावलद मृत्यु होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा लिमड़ा थाना नं0 41, खाता सं0 77 प्लॉट 676 रकबा 1.30 एकड़ भूमि को उक्त कारणों के आधार पर अवैध जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित।</p> <p> अंचल अधिकारी कर्ता।</p> <p> 29/10/2020 अंचल अधिकारी कर्ता।</p>	